153

गोपनीय

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
महाप्रबन्धक सतर्कता,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015

SIV-01/2023

पत्र सं0: **20211000631/PC/V5/N/ALD** **Dated:** 11 .01.2023

प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर,
उ0म0रे0, प्रयागराज।

विषयः S&T विभाग से सम्बन्धित ऐसे आइटमो (जिनके लिए RDSO/RB/NCR-HQ का Specification मौजूद नहीं है) के लिए रेलवे की जरूरतों के अनुसार एक Generic Specification बनाकर निविदा शेड्यूल में शामिल करते हुए उन आइटमों की खरीद विभिन्न निविदाओं अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर मध्य रेलवे के एक स्टेशन पर कोच गाइडेंस सह विज्ञापन सिस्टम के मद में S&T विभाग/प्रयागराज मंडल द्वारा LOA सं0 S&T/ALD-Sig-141/2019-20/10279080018537 दिनांक 29.04.2020 के माध्यम से लगाये गये 32" Back to Back LED पैनल के सम्बन्ध में किये गये सतर्कता जॉच में निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आयीः–

(i) निविदा शेड्यूल के आइटम सं0 1– 32" LED Panel के लिए 32" Digital Signage (Model- LG 32SM5KE) की 59 Nos. मात्रा ठेकेदार द्वारा दिनांक 05.11.2020 को SSE/Tele/CNB डिपो में सप्लाई किया गया जिसे Consignee सुपरवाइजर द्वारा बिना टेस्टिंग के रिसीव किया गया एवं इस आइटम के निविदा में दिये गये specification को पूरा न करने के कारण इसे Consignee द्वारा ठेकेदार को वापस करने के लिए दिनांक 09.11.2020 एवं 16.11.2020 को पत्र लिखा गया, जिसके सापेक्ष 30 Nos. उक्त आइटम ही ठेकेदार द्वारा दिनांक 07.01.2021 को वापस लिया गया। बाद में उक्त कार्य हेतु अलग–अलग मेक/मॉडल के 32" Digital Signage पैनलों SAMSUNG-QM32R एवं LG-32SM5KE का चयन करते हुए उनकी गुणवत्ता परखने हेतु एक विजुअल जॉच दिनांक 19.01.2021 एवं दिनांक 20.01.2021 को किये जाने के पश्चात् कार्य के Consignee (SSE/Tele/CNB) द्वारा यह पाया गया कि वे दोनों LED पैनल निविदा में दिये गये specification के Major पार्ट को पूरा कर रहे थे, जबकि LG-32SM5KE LED digital signage निविदा specification में दिये गये विभिन्न पैरामीटर के सापेक्ष लगभग 23 पैरामीटरों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसमें Contrast Ratio, Response Time, Haze एवं Internal Player से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पैरामीटर भी शामिल थे, इसके बावजूद भी इस आइटम की 30 Nos. मात्रा को Demonstration के आधार पर स्वीकार करते हुए इसके सापेक्ष Inspection Certificate जारी करने के लिए SSE/Tele/CNB द्वारा प्रोसेस किया गया एवं इस आइटम का Inspection Certificate जारी किया गया, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। आगे इस आइटम के सप्लाई पार्ट के पेमेंट के लिए LED panel- 30 Nos.(LG-32SM5KE) आइटम के सापेक्ष कार्य की माप को MB में दिनांक 20.01.2021 को रिकार्ड करते हुए 1st On Account Bill के माध्यम से S&T विभाग/प्रयागराज मंडल द्वारा ठेकेदार के पक्ष मे दिनांक 02.02.2021 को पेमेंट भी कर दिया गया, जो कि उसे देय नही था।

(ii) उक्त कार्य हेतु अवार्ड किये गये निविदा के लिए LOA दिनांक 29.04.2020 को जारी किया गया था जिसमे कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा 01 महीना दी गयी थी जो कि दिनांक 28.05.2020 को समाप्त हो रही थी। परन्तु ठेकेदार द्वारा original DOC में कार्य पूरा नहीं करने के कारण Sr. DSTE/CNB कार्यालय द्वारा कुल 14 DOC extensions दिये गये जिसमे 07 DOC extensions बिना LD लगाये दिये गये और 07 DOC extensions token LD लगाकर किया गया और इस तरह ठेकेदार द्वारा दिनांक 23.07.2021 को कार्य पूरा किया गया। अतः उक्त कार्य हेतु LOA जारी होने की तिथि से 01 महीना की DOC S&T विभाग द्वारा निर्धारित करना किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया यह समझ से परे है एवं इस कार्य को पूरा करने के लिए शुरू मे इतना कम समय दिये जाने के पीछे सम्बन्धित विभाग द्वारा ठेकेदार को परेशान करने का उद्देश्य होने की सम्भावना से इकार नही किया जा सकता है। अतः कार्य निविदाओ मे साइट की स्थिति एव अन्य कारणों को देखते हुए एक वास्तविक DOC निर्धारित की जानी चाहिए।

11.01.2023

152

30

(iii) प्रायः यह पाया जा रहा है कि S&T विभाग / उ0म0रे0 द्वारा स्टोर / कार्य निविदाओ के अन्तर्गत खरीदे जानेवाले ऐसे आइटमों (जिनके लिए RDSO/RB/NCR-HQ का specification मौजूद नहीं है) के लिए रेलवे की जरूरतों के अनुसार एक Generic Specification न देते हुए किसी एक manufacturer/supplier के किसी मॉडल विशेष का specification अक्षरशः कापी करते हुए निविदा शेड्यूल में डाल दिया जाता है या खरीदे जानेवाले आइटम के सापेक्ष किसी एक मेक / मॉडल का नाम लिखकर दो-तीन अन्य manufacturer/supplier के नाम / similar लिखते हुए उस आइटम का ब्यौरा टेण्डर शेड्यूल में डाल दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि एक मेक / मॉडल के आइटम के specification में कई ऐसे पैरामीटर होते हैं जिन्हें दूसरे मेक / मॉडल के समान आइटम पूर्णतः पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे मे एक मेक / मॉडल का specification कापी करना या उस मेक / मॉडल को निविदा में डालते हुए उसके खरीद के लिए Open Tender किया जाना एक औपचारिकता मात्र ही बनकर रह जाता है। अतः S&T विभाग / उ0म0रे0 को किसी एक manufacturer के एक मॉडल विशेष वाले आइटम की ही जरूरत है तो उन आइटमों की खरीद Proprietary Article Basis पर रेलवे के निर्देशों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि Proprietary Article Basis पर एक manufacturer विशेष का आइटम खरीदे जाने पर एक तरफ competition पूरी तरह खत्म हो जाता है तो दूसरी तरफ वह आइटम रेलवे को अत्यधिक कीमत पर भी मिलता है, जबकि दूसरे निर्माताओं के द्वारा बनाये गये समान आइटम के कई मॉडल बाजार में मौजूद होते हैं जो रेलवे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इस स्थिति में किसी एक मेक / मॉडल विशेष का आइटम खरीदा जाना उस manufacturer को फेवर करने जैसा है। इसके बावजूद भी यदि S&T विभाग / उ0म0रे0 को किसी एक मेक / मॉडल के आइटम से लगाव है, तो उस Proprietary आइटम की खरीद करने से पहले इस बात का ध्यान अनिवार्यतः रखा जाना चाहिए कि उस आइटम का अन्य कोई substitute बाजार में उपलब्ध नहीं है जो कि रेलवे की जरूरतों को पूरा कर सके, इसके बाद ही उस आइटम के खरीद की प्रोसेसिंग Proprietary Article Basis पर रेलवे के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् की जानी चाहिए। उपरोक्त वर्णित तथ्य की पुष्टि वर्तमान केस ही है जहाँ 32" LED panel के लिए SAMSUNG मेक के एक मॉडल विशेष का specification निविदा शेड्यूल में डालते हुए Open Tendering के माध्यम से यह आइटम खरीदे जाने का दिखावा किया गया है।

अतः भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं-

(a) S&T विभाग / उ0म0रे0 में विभिन्न निविदाओं (स्टोर / कार्य) के अन्तर्गत खरीदे जानेवाले आइटमों जिनका RDSO/RB/NCR-HQ का specification यदि मौजूद नहीं है, तो उनके लिए एक Generic Specification रेलवे की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाते हुए निविदा शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए न कि एक मेक / मॉडल विशेष का specification।

(b) S&T विभाग / उ0म0रे0 में किसी एक manufacturer द्वारा निर्मित कोई आइटम विशेष की खरीद किया जाना यदि किसी कारणवश अपरिहार्य है तो उस Proprietary आइटम को खरीद करने से पहले इस बात का ध्यान अनिवार्यतः रखा जाना चाहिए कि उस आइटम का अन्य कोई substitute बाजार में उपलब्ध नहीं है जो कि रेलवे की जरूरतों को पूरा कर सके, इसके पश्चात् ही उस आइटम की खरीद Proprietary Article Basis पर रेलवे के विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

(c) विभिन्न कार्य निविदाओं में कार्य पूरा करने की समय सीमा (DOC) का realistic assessment करके उसे निविदा शर्तो में डाला जाना चाहिए जिससे ठेकेदार के पक्ष में बार-बार DOC extension करने से बचा जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित सुझावों को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा-निर्देश जारी करते हुए उ0म0रे0 के S&T विभाग के सभी सम्बन्धित यूनिटों / कार्यालयों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की व्यवस्था करें।

इसे वरि0 उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

11.01.2023

(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / बिजली
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता